l. lo.	Date of der of proceeding	order with signature of the court	Office Action Taken with Date
1	2	3	4

03/05/18

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, जमुई
जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–35/2017

पवन कुमार सिंह पे0–श्री कान्ता प्रसाद सिंह – आवेदक

बनाम

अमरेन्द्र कुमार उर्फ मुकेश कुमार सिंह, विपक्षी सं0–01
पे0–श्री कान्ता प्रसाद सिंह
शैलेन्द्र कुमार सिंह विपक्षी सं0–02
पे0–श्री कान्ता प्रसाद सिंह
ग्राम–मौरा, थाना–गिद्धौर, जिला–जमुई।

आदेश

पवन कुमार सिंह पे0–कान्ता प्रसाद सिंह, ग्राम–मौरा, थाना–गिद्धौर, जिला–जमुई के द्वारा बिहार दाखिल–खारिज अधिनियम की धारा–09 (1) के तहत जमाबन्दी सं0–903 एवं 904 को रद्द करने हेतु यह वाद लाया गया है। वाद को अंगीकार करने के पश्चात् विपक्षीगण को सूचना निर्गत किया गया।

वाद में निम्नलिखित भूमि सन्निहित है :–

अंचल का नाम	राजस्व ग्राम एवं थाना नं0	खाता सं0	खेसरा सं0	रकवा (एकड़ में)	जमाबंदी सं0
1	2	3	4		5
जमुई	बिहारी/ 31	141	223	$2\frac{1}{2}$ डी0 $2\frac{1}{2}$ डी0	903, 904

विपक्षीगण के द्वारा प्रत्युतर दाखिल किया गया। उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

विपक्षीगण श्री अमरेन्द्र कुमार उर्फ मुकेश कुमार सिंह एवं शैलेन्द्र कुमार सिंह दोनों पुत्रगण श्री कान्ता प्रसाद सिंह, ग्राम–मौरा, थाना–गिद्धौर, जिला–जमुई को नोटिश एवं याचिका के प्रति दिनांक–03.01.2018 को पंजीकृत डाक से भेजा गया। दिनांक–16.01.2018 को अपना पक्ष रखने हेतु संसूचित की गई। पंजीकृत वापस लौट कर नहीं आई। तामिला मानते हुए "वाद" की कार्रवाई आरम्भ की गई।

विपक्षी के लगातार अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक–26.04.2018 को विपक्षीगण को जबाव देने से वंचित करते हुए आवेदक के पक्ष को एक पक्षीय सुना गया।

आवेदक का कथन है कि दिनांक–14.02.2001 को जलाधर सिंह पे0–चतुर्भुज सिंह से अपने अकेले नाम से $7\frac{1}{2}$ डी0 भूमि खाता सं0–141, खेसरा सं0–223 से कय किया। उक्त केवाला के आधार पर दाखिल खारिज वाद सं0–2153/2001–02 के द्वारा जमाबन्दी सं0–774 उनके पक्ष में कायम हुआ। प्रश्नगत भूमि पर उनका मकान अवस्थित है। नगरपालिका से रसीद भी वर्ष 2016–17 तक उनके नाम से कट रहा एवं एल0पी0सी0 भी उनके पक्ष में निर्गत है।

आवेदक का कथन है कि वे प्रश्नगत भूमि को किसी व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं किया है। तथापि उनके जमाबन्दी सं0–74 से उन्हें बिना सूचना दिये हुए 05 डी0 भूमि रकवा खारिज करते हुए $2\frac{1}{2}$ डी0 भूमि जमाबन्दी सं0–903 एवं $2\frac{1}{2}$ डी0 जमाबन्दी सं0–904 पर दाखिल कर दी गई है।

आवेदक का कथन है कि केवाला उनके व्यक्तिगत नाम से है। सम्पत्ति उनके पत्नी या बच्चों को ही वंशागत रूप से प्राप्त होगा। किसी अन्य या भाईगण को बिना निबंधित Sale deed से हस्तांतरण नहीं होगा। आवेदक का यह भी कहना है कि उनके एकल स्वामित्व की सम्पत्ति $7\frac{1}{2}$ डी0 का न तो कभी बॅटवारा हुआ है और न ही उनके द्वारा कभी इस आशय की सहमति प्रदान की गई है। अंचल कर्मियों के मेल में लाकर बॅटवारा की कहानी गढ़ उनके अपने स्वामित्व की भूमि को फर्जी कागजात तैयार कर बॅटवारा वाद सं0–1958/2005–06 दिखाकर 05 डी0 भी उनके जमाबन्दी सं0–774 से खारिज (घटा) दिया गया है तथा विपक्षीगण के नाम $2\frac{1}{2} - 2\frac{1}{2}$ डी0 की जमाबन्दी सं0–903 एवं 904 कायम कर दी गई है।

अंचल अधिकारी, जमुई से बॅटवारा वाद सं0–1958/05–06 की अभिलेख की मॉग की गई। अंचल अधिकारी, जमुई ने संसूचित किया है कि सम्बंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं है। मगर अंचल अधिकारी, जमई ने अपने पत्रांक–550 दिनांक–12.04.18 से दाखिल–खारिज आवेदन–पत्र पंजी 27 की छाया–प्रति उपलब्ध कराया है। पंजी 27 की छाया–प्रति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दाखिल खारिज सं0–1958 वर्ष 2005–06 के द्वारा $2\frac{1}{2} - 2\frac{1}{2}$ डी0 के दर से विपक्षीगण के पक्ष में जमाबन्दी सं0–903 एवं 904 कायम हुई है।

आवेदक का कथन है कि The Bihar Tenant's holding (maintence of records) act 1973 के प्रावधान 14(2) के विरूद्ध जमाबन्दी सं0–903 एवं 904 कायम किया गया है। अर्थात् प्रावधान के अनुसार बॅटवारा वाद में आवेदक की सहमति अपेक्षित थी। साथ ही आवेदक के नाम के केवाला से प्राप्त भूमि का उनके भाईयों के नाम निबंधित दस्तावेज से ही हो सकता है। Registator act 1908 की धारा 17 के अनुसार 100 रूपये से अधिक मूल्य की सम्पति का स्थानांतरण बिना निबंधित Sale deed के नियम संगत नहीं है। अतएव जमाबन्दी सं0 903 एवं 904 के सृजन का आधार (अनिबंधित दस्तावेज) फर्जी बॅटवारा Schedule गलत है। अतएव जमाबन्दी सं0–903 एवं 904 को रद्द की जाए।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना। दाखिल कागजातों का अवलोकन किया। प्रश्नगत केवाला का परिशीलन किया। आवेदक की जमाबन्दी सं0–774 उनके नाम से दिनांक–14.02.2001 को निष्पादित केवाला के आधार पर नियम किया गया था। केवाला की भूमि आवेदक के पत्नी एवं बच्चों को ही वंशागत हो सकती है। आवेदक के भाईयों के नाम आपसी बॅटवारा हेतु आवेदक द्वारा निबंधित बिकय पत्र या Deed of relinqueshment अपेक्षित था। मगर यहॉ सादे कागजात पर Schedule तैयार कर भूमि को हस्तांतरित करते हुए उक्त हस्तांतरण के आधार पर विपक्षीगण के पक्ष में जमाबन्दी सं0–903 एवं 904 कायम कर दी गई है।

आवेदक ऐसे बॅटवारा को फर्जी तथा कर्मचारी के मेल में किया गया कृत का दावा कर रहे है।

आवेदक भूमि के जमाबन्दी रैयत है। जिसकी जमाबन्दी सं0–774 है। ऐसी परिस्थिति में The Bihar Tenant's holding (maintence of records) act 1973 के प्रावधान 14(2) के आलोक में आवेदक को खास सूचना दिया जाना अपेक्षित था। दाखिल खारिज हेतु स्थापित नियम का यहॉ उल्लंधन किया गया है। उक्त तथ्यों के आलोक में उपलब्ध कागजातों/साक्ष्यों/विद्वान अधिवक्ता के तर्को/कथनों के आलोक में बॅटवारा वाद सं0–1958/2005–06 को स्थापित नियम के विरूद्ध पाता हूँ। तदनुसार

A Home Jud

इस वाद के आलोक में सृजित जमाबन्दी सं0–903 एवं 904 को नियमानुकूल सृजित नहीं पाता है।

अतएव इस जमाबन्दी रद्दीकरण वाद के आवेदन पत्र को स्वीकृत किया जाता है। अंचल अधिकारी, जमुई को आदेशित किया जाता है कि जमाबन्दी सं0–903 एवं 904 को $2\frac{1}{2} - 2\frac{1}{2}$ डी0 रकवा खारिज करते हुए आवेदक के जमाबन्दी सं0–774 पुनः वापस की जाए।

आदेश की प्रति विपक्षी, उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई एवं अंचल अधिकारी, जमुई को आवश्यक कार्यार्थ भेजें। साथ ही आदेश की प्रति जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु DIO, NIC, Jamui को भी भेजें।

लेखापित एवं संशोधित
अपर समाहर्त्ता,
जमुई।

अपर समाहर्त्ता,
जमुई।

समाहरणालय, जमुई
(राजस्व शाखा)

ज्ञापांक– 410 /रा0, दिनांक– 03/03/18

प्रतिलिपि–आदेश की प्रति विपक्षीगण को उपलब्ध करावे एवं इसकी प्रति अंचल अधिकारी, जमुई एवं उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई को आवश्यक कार्यार्थ भेजे।

प्रतिलिपि–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, जमुई को आदेश की प्रति जिला बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अपर समाहर्त्ता,
जमुई।

A Home Jud